भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3760

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

3760. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है,

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही राजसहायता नीति का ब्यौरा क्या है, और;

(ङ) प्रदूषण को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहनों के योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): देश में चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का विवरण एवं प्रगति निम्नानुसार है:

(i) भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II: सरकार द्वारा इस स्कीम को 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 11,500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय सहयोग के साथ कार्यान्वित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों एवं ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम-2 के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,299 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की गई हैं। इसके अलावा, देशभर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु स्कीम के अंतर्गत 912.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 9,583 ईवीपीसीएस स्थापित किए गए हैं।

(ii) भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो): सरकार द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों, जिनमें ईवी भी शामिल हैं, के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जारी की गई।

(iii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: सरकार द्वारा देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 09.06.2021 को पीएलआई स्कीम की अधिसूचना जारी की गई। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें से 40 गीगावाट घंटा क्षमता चार लाभार्थी फर्मों को प्रदान की गई है। 40 गीगावाट घंटा क्षमता अंतिम उपयोग से निरपेक्ष है तथा इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों सहित किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 14,000 ई-बसों का आवंटन किया जा चुका है। देशभर में ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अंतर्गत बैटरी पैक सहित ईवी कंपोनेंट के चरणबद्ध तरीके से घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य किया गया है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: इस स्कीम की अधिसूचना दिनांक 28.10.2024 को 3,435.33 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जारी की गई। इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है। दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत 27,555 ई-बसें शामिल हैं। इनमें से 10,000 ई-बसें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की पीएम ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत, 14,000 ई-बसें भारी उद्योग

मंत्रालय (एमएचआई) की पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत तथा 3,555 ई-बसें विभिन्न राज्य सरकार/राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) की पहलों के अंतर्गत हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं :–

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) एमओआरटीएच ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने संबंधी परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार एमएचआई की स्कीमों के अंतर्गत समर्थित ईवी की संख्या निम्नानुसार है:

स्कीम	**फेम-I**	**फेम-II (बिक्री)**	**पीएम ई-ड्राइव स्कीम (बिक्री)**	**पीएलआई ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट (बिक्री)**
समर्थित/ बिक्री किए गए ईवी	2.80 लाख	16.72 लाख	26.59 लाख	~21.30 लाख (दिनांक 31.03.2026 तक)

भारी उद्योग मंत्रालय ने उपर्युक्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन प्रदान करके प्रदूषण में कमी लाने में योगदान दिया है।

दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 67,657 ईवी चार्जर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 1,139 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन चार्जर शामिल हैं।

******